न्यायालयः– सिविल जज (अवर खण्ड)/ त्वरित न्यायालय/ न्यायिक मजिस्ट्रेट,

न्याय कक्ष संख्या–02, न्यायालय, बुलंदशहर

परिवाद संख्या–47/2023
कम्प्यूटर नम्बर –16607/2022
समीर बनाम तन्नू आदि

थाना– सिकन्द्रराबाद, जिला– बुलन्दशहर

दिनांक–10.07.2023

पत्रावली पेश हुई। पुकार कराई गयी। बार–बार पुकार कराए जाने के पश्चात भी परिवादी की ओर से कोई उपस्थित नहीं है और न कोई हाजिरी माफी या स्थगन पत्रावली में मौजूद है। पत्रावली के अवलोकन से यह दर्शित होता है कि परिवाद दिनांक 10.10.2022 को न्यायालय द्वारा दर्ज किया गया, तत्पश्चात् पत्रावली लगातार 200 दण्ड प्रक्रिया संहित के बयान के लिए नियत रही तथा पत्रावली में अभी तक 200 दण्ड प्रक्रिया संहित का बयान दर्ज नहीं किया गया है। पत्रावली के अवलोकन से यह दर्शित होता है कि परिवादी विगत कई तिथियों से उपस्थित नहीं है, जिससे कि यह प्रतीत होता है कि परिवादी वाद को चलाये जाने में कोई रूचि शेष नहीं है।

अतः उपरोक्त तथ्यों व परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए परिवादी की अनुपस्थिति में वाद को चलाया जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है।

आदेश

अतः परिवाद,परिवादी की अनुपस्थिति व बल न देने के अभाव में खारिज किया जाता है। पत्रावली नियमानुसार दाखिल अभिलेखागार हो।

(स्नेहा सिंह–I)
सिविल जज (अवर खण्ड)/ त्वरित न्यायालय/
न्याय मजिस्ट्रेट, न्याय कक्ष सं०– 2 बुलंदशहर
J.O Code- U.P. 3680